

Chhattisgarh State Pharmacy Council

The procedure for submitting the online renewal application form is as follows:

ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया इस प्रकार है :

1. नवीनीकरण (रजिस्ट्रेशन) के लिए आवेदन फॉर्म भरने से पहले, कृपया छत्तीसगढ़ प्रदेश फार्मसी काउंसिल के फॉर्म विवरणिका के नियमों और अपलोड करने वाले दस्तावेजों के संबंध में विनियमों को ध्यान से पढ़ें।
2. ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन फॉर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। आवेदनकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सही ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर (उपयोग में) दें।
3. नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा UPI पेमेंट) से ही स्वीकार किये जायेंगे।
4. दस्तावेज, मार्कशीट और प्रमाणपत्र (केवल "PDF" प्रारूप में स्कैन करके अपलोड करें। A4 पेज स्कैन किए गए दस्तावेज का फ़ाइल आकार 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए)
5. हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ (फोटो केवल "JPEG" प्रारूप में स्कैन करके अपलोड करें। स्कैन किए गए फोटोग्राफ का फ़ाइल साइज 200 KB, चौड़ाई 250 Pixs और ऊंचाई 300 Pixs से अधिक नहीं होना चाहिए)
6. सफेद शीट पर नीले/काले पेन का उपयोग करते हुए आपके हस्ताक्षर (केवल "JPEG" प्रारूप में स्कैन करके अपलोड करें। स्कैन किए गए हस्ताक्षर का फ़ाइल साइज 100 KB, चौड़ाई 200 Pixs और ऊंचाई 100 Pixs से अधिक नहीं होना चाहिए)
7. अस्पष्ट अपलोड की गई डिजिटल फोटोग्राफ वाले आवेदनकर्ता एवं आवेदन शुल्क जमा नहीं करने पर नवीनीकरण आवेदन फॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
8. आवेदनकर्ता किसी भी अतिरिक्त जानकारी या पूछताछ के बारे में ईमेल: onlinecspcraipur@gmail.com भेज सकता है। किसी भी ईमेल पत्राचार में स्वचालित रूप से प्रदान की गई ऑनलाइन नवीनीकरण एप्लीकेशन आईडी का उल्लेख करना आवश्यक है।
9. आवेदनकर्ता को नवीनीकरण (रजिस्ट्रेशन) के लिए आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाना आवश्यक है और हार्ड कॉपी में नवीनीकरण आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. नवीनीकरण आवेदन फॉर्म के विवरण सफलतापूर्वक जमा करने पर, आपको स्क्रीन पर एक स्वचालित रूप से उत्पन्न आवेदन रजिस्ट्रेशन नंबर और पुष्टिकरण संदेश दिख जाएगा। आपको नवीनीकरण आवेदन फॉर्म में आपके द्वारा प्रदान की गई ई-मेल आईडी पर एक ई-मेल और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एप्लीकेशन आईडी कोड भी प्राप्त होगा।
11. भविष्य में किसी भी पत्राचार के लिए ऑनलाइन नवीनीकरण एप्लीकेशन आईडी का ही उपयोग करें।
12. नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सफलतापूर्वक भरने के पश्चात् काउन्सिल द्वारा अपलोड किये गए दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। सभी दस्तावेज सही पाए जाने के पश्चात् आपके लॉगिन पैनल में एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा जिसमें आपको आधार OTP वेरिफिकेशन और सेल्फी वीडियो के लिए एक लिंक मिलेगा। इस ऑनलाइन KYC की अतिआवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् काउन्सिल द्वारा आपको नवीनीकरण का सर्टिफिकेट जारी करेगा।
13. ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदनकर्ता द्वारा सही सही जानकारी भरी जाये अन्यथा किसी भी प्रकार की जानकारी में त्रुटि पाए जाने पर आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार रहेंगे एवं नवीनीकरण आवेदन फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा।

Chhattisgarh State Pharmacy Council

14. वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य फार्मसी काउंसिल जनवरी से दिसंबर तक 1 वर्ष और 5 वर्ष के लिए पंजीकरण प्रदान कर रही है। फार्मासिस्टों को प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक अपना पंजीकरण नवीनीकृत कराना होता है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के बाद विलंब शुल्क लिया जाएगा।
15. अंत में, आगे की सहायता के लिए पूर्ण रूप के भरी ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें।
16. ब्राउज़र अनुशंसाएँ: ऑनलाइन नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन केवल Google क्रोम ब्राउज़र के साथ कार्य करता है।
17. ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहां क्लिक करें <https://online.cspc.in/>
18. ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन फॉर्म भरने में सहायता के लिए वीडियो देखें अथवा पीडीएफ़ फाइल देखें ।

-----फार्मासिस्टों के ऑनलाइन सेवाओं के लिए पोर्टल-----

छत्तीसगढ़ प्रदेश फार्मसी काउंसिल की पंजीकरण, नवीनीकरण, स्थानांतरण एवं अन्य संबंधित सेवाओं का ऑनलाइन लाभ प्राप्त करने हेतु फार्मासिस्टों के लिए पोर्टल बनाया गया है

छत्तीसगढ़ प्रदेश फार्मसी काउंसिल ने फार्मासिस्टों की सुविधा हेतु अपनी विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन किया है, जो पहले ऑफ़लाइन चल रही थीं। यह पोर्टल फार्मासिस्टों को काउंसिल की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु सीएसपीसी के साथ पंजीकृत होने की सुविधा प्रदान करता है। पंजीकरण करने हेतु फार्मासिस्टों को अपना मूल विवरण भरना होगा एवं One Time Password (ओटीपी) के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी सत्यापित करना होगा। पोर्टल पर नवीनीकरण पंजीकरण के पश्चात, फार्मासिस्ट लॉग इन कर सकते हैं एवं निम्नलिखित में से जिस भी सेवा के लिए वे पात्र हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं:

1. फार्मासिस्ट के नए पंजीकरण हेतु अनुरोध
2. फार्मासिस्ट के पंजीकरण के नवीनीकरण/बहाली हेतु अनुरोध
3. फार्मासिस्ट को अन्य काउंसिल से सीएसपीसी में स्थानांतरित करने हेतु अनुरोध
4. CSPC से अन्य काउंसिल में स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध
5. डुप्लीकेट प्रमाणपत्र/नवीनीकरण कार्ड निर्गमन हेतु अनुरोध
6. गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध
7. योग्यता में परिवर्तन/उन्नयन हेतु अनुरोध
8. फार्मासिस्ट के नाम व पते में परिवर्तन हेतु अनुरोध
9. आवेदक, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पश्चात, आवेदन CSPC लॉगिन पर अग्रेषित किया जाएगा। तत्पश्चात, संबंधित अधिकारी आवेदन की समीक्षा करेंगे एवं आवेदन को स्वीकृति/अस्वीकृति प्रदान करेंगे अथवा आपत्ति दर्ज करेंगे।
10. आवेदनकर्ता को CSPC द्वारा दर्ज की गई आपत्ति, अथवा दस्तावेज सम्बंधित आवश्यकता यदि कोई हो, का शीघ्र निराकरण करना/उत्तर देना होगा ।

उक्त सुविधा के अतिरिक्त, आवेदनकर्ता निम्न जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं :

1. दर्ज किए गए ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
2. दर्ज किए गए ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन फॉर्म व शुल्क भुगतान की रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं।
3. OTP आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा ।
4. नवीनीकरण आवेदनकर्ता के दस्तावेज सत्यापन हेतु काउंसिल द्वारा किया जायेगा एवं सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अथवा ईमेल पर भेजा जायेगा ।

Chhattisgarh State Pharmacy Council

5. एक बार में एक से अधिक सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं एवं अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग शुल्क लिया जायेगा ।
6. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के पार्ट-1 में आंशिक रूप से आवेदन फॉर्म में विवरण दर्ज कर सकते हैं तथा शेष विवरण एवं दस्तावेज को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ बाद में भर सकते हैं ।
7. नवीनीकरण पंजीयन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान होने तक भरे हुए विवरण में संशोधन कर सकते हैं । पूर्ण रूप से ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन फॉर्म भरने एवं ऑनलाइन शुल्क प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ।

Chhattisgarh State Pharmacy Council

----- Fess Return Policy -----

1. यह हमारी नीति है कि एक बार जब फार्मासिस्ट छत्तीसगढ़ राज्य फार्मसी काउंसिल, वेबसाइट (www.cspc.in) के माध्यम से नवीनीकरण पंजीकृत हो जाता है तो लेनदेन शुल्क अंतिम होता है, और पंजीकरणकर्ता को नवीनीकरण पंजीकरण की फीस वापस मांगने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. यह फिर से दोहराया जाता है कि किसी भी कारण से नकद या किसी भी प्रकार का कोई रिफंड नहीं दिया जाता है और सभी लेनदेन अंतिम होते हैं।
3. शुल्क का कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, भले ही पंजीकरणकर्ता किसी भी कारण से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाता है और हमें पंजीकरण वापस/स्थानांतरित नहीं कर पाता है।
4. वेबसाइट में ऑनलाइन माध्यम से फार्मासिस्ट द्वारा नवीनीकरण, एनओसी, डुप्लिकेट और किसी भी सेवा के लिए भुगतान किया गया शुल्क अंतिम होगा। किसी भी हालत में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
5. यदि उपयोगकर्ता पंजीकरण करते समय पंजीकरण शुल्क का भुगतान एक से अधिक बार करता है, तो भुगतान 48 से 72 घंटों में उसके खाते में वापस कर दिया जाएगा।
6. यह नो रिफंड नीति गलतफहमी और विवादों को रोकने के लिए उपयोगकर्ता को सूचित की जाती है।

Cancellation & Refund

1. It is our policy that once pharmacist renewal registered through Chhattisgarh State Pharmacy Council, website (www.cspc.in) the transaction fees is final, and the registrant will not be allowed to ask for the refund of the fees of the renewal registration that has been charged to them.
2. It is again reiterated that no refunds are given of any cash or kind for any reason whatsoever and all transactions are final.
3. No refund will be given of the Fees, even if the registrant is not able to attend the event for any reason whatsoever and returns/transfer the registration to us.
4. Fees paid for Renewal, NOC, Duplicate and any services by the Pharmacist through online medium in the website will be final. Fee will not be refunded under any condition.
5. If the user pays the registration fee more than once while registering, then the payment will be refunded to his account in 48 to 72 hours.
6. This no refund policy is hereby communicated to user to prevent misunderstanding and disputes.

----- Document Requirement for Online Renewal Registration Form -----

For Degree Holders:

1. All Marksheets of 8 Semesters / 4 Years of Bachelor of Pharmacy.
2. 10th and 12th Class Marksheet
3. Domicile certificate of Chhattisgarh.
4. Identity Proof: Aadhaar Card
5. Recent Passport Size Photographs.
6. Signature of Candidate
7. Self-Declaration Form (Download Pdf file and Upload)
8. Registration Certificate: Certificate of Registered Pharmacist (CG Pharmacy Council)
9. Latest Renewal Receipt / Renewal Book (CG Pharmacy Council)
10. Address Proof - Accepted documents are Aadhaar Card, Voter ID, Ration Card, Passport, Bank Passbook.

Chhattisgarh State Pharmacy Council

For Diploma Holders:

1. All Marksheets of Part-I & Part-II of Diploma in Pharmacy (D Pharm)
2. Pharmacist's Practical Training certificate in original (For D. Pharma students)
3. 10th and 12th Class Marksheet
4. Domicile certificate of Chhattisgarh.
5. Identity Proof: Aadhaar Card
6. Recent Passport Size Photographs.
7. Signature of Candidate
8. Exit Examination Result (D. Pharm Pass out students in the year of 2023-24 or after)
9. Self-Declaration Form (Download Pdf file and Upload)
10. Registration Certificate: Certificate of Registered Pharmacist (CG Pharmacy Council)
11. Latest Renewal Receipt / Renewal Book (CG Pharmacy Council)
12. Address Proof - Accepted documents are Aadhaar Card, Voter ID, Ration Card, Passport, Bank Passbook.

For Pharm D Holders:

1. All Marksheets of Pharm D Course.
2. 10th & 12th Class Marksheet
3. Domicile certificate of Chhattisgarh.
4. Identity Proof: Aadhaar Card
5. Recent Passport Size Photographs.
6. Signature of Candidate
7. Self-Declaration Form (Download Pdf file and Upload)
8. Pharm D Certificate.
9. Registration Certificate: Certificate of Registered Pharmacist (CG Pharmacy Council)
10. Latest Renewal Receipt / Renewal Book (CG Pharmacy Council)
11. Address Proof - Accepted documents are Aadhaar Card, Voter ID, Ration Card, Passport, Bank Passbook.